

विजय कुमार
आई०पी०एस०



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक : लखनऊ: अगस्त 14, 2023

प्रिय महोदय/महोदया,

अपराधों की प्रभावी रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। सुदृढ़ पुलिसिंग के द्वारा प्रदेश में आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित किया जाना है। इसके लिये आवश्यक है कि रात्रि गश्त अधिक से अधिक तथा प्रभावी रूप से की जाये, जिससे जन सामान्य में अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास की भावना बलवती हो सके।

प्रायः रात्रि के समय आपराधिक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है और हत्या, लूट, डकैती, चोरी तथा महिलाओं के साथ अपराध आदि की घटनाएं घटित होती हैं, जिनका आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व रोकथाम हेतु रात्रि में पुलिस सक्रियता बढ़ा कर प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु गश्त प्रणाली/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

- प्रदेश के समस्त जनपद/कमिशनरेट में घटित घटनाओं का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि हिन्दू पंचांग के अंधेरे पक्ष (कृष्ण पक्ष) की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात् रात्रि के समय अधिक घटनाएं घटित होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर यह विश्लेषण प्रत्येक माह किया जाये।
- हिन्दू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में अंधेरे पक्ष (कृष्ण पक्ष) की अमावस्या की तिथि चिन्हित किया जाए। (उदाहरण स्वरूप माह अगस्त में 16 तारीख, माह सितम्बर में 14 तारीख एवं माह अक्टूबर में 14 तारीख को अमावस्या तिथि है।) सुलभ सन्दर्भ हेतु हिन्दू पंचांग की प्रति संलग्न है।
- अमावस्या की तिथि से एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात् रात्रि में वर्णित अपराध शीर्षकों में घटित घटनाओं का CCTNS एवं डायल-112 से घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं का मिलान/क्राइम मैपिंग करा लिया जाए तथा क्राइम मैपिंग के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/पुलिस आयुक्त द्वारा अपने-अपने जनपद/कमिशनरेट में हॉट स्पॉट चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की जाये।
- इसी प्रकार प्रदेश के समस्त थानों में थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में क्राइम मैपिंग के अनुसार थाना स्तर पर हॉट स्पॉट चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की जाये।


- जनपद/कमिश्नरेट में घटित घटनाओं का क्राइम मैपिंग के अनुसार क्षेत्र व समय चिन्हित करने की प्रक्रिया हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार कर समस्त जनपद/कमिश्नरेट को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कार्यवाही भी करायी जाएगी।
- जनपद/कमिश्नरेट में चिन्हित किये गये हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात रात्रि में इस अवधि में प्रभावी गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि को और अधिक सुदृढ़ करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी लगाये जाए।
- संवेदनशील राजमार्गों पर रात्रि गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाए।
- संवेदनशील स्थानों को जोन/क्लस्टर में बांट कर उन क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर गश्त करायी जाय।
- रात्रि गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग हेतु लगाये गये गश्त कर्मियों को प्रतिदिन नियमित रूप से थाना प्रभारी/रात्रि अधिकारी/मुख्य आरक्षी (हेड मोहर्रिं) द्वारा क्षेत्र में पूर्व में घटित घटना का स्थान/समय व अपराधियों द्वारा घटना कारित करने के तरीके आदि से विधिवत ब्रीफ किया जाए।
- प्रत्येक जनपद/कमिश्नरेट में ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों को क्रियाशील कर ग्राम चौकीदारों के साथ भी गश्त करायी जाए।
- जनपद/कमिश्नरेट में घटित घटनाओं का क्राइम मैपिंग के अनुसार चिन्हित स्थानों/क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार डायल-112 के वाहनों के रूट चार्ट को पुनर्निर्धारित किया जाए।
- ग्राम/मोहल्ला के ग्राम प्रधान/संभान्त व्यक्तियों से समन्वय/संवाद स्थापित कर घटना पर अंकुश लगाये जाने हेतु सार्थक प्रयास किया जाए। जो स्थान सूनसान व अंधेरायुक्त हो वहाँ पर स्ट्रीट लाईट लगवाने की कार्यवाही करायी जाए।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहयोग से निजी चौकीदार लगाये जाने हेतु कार्यवाही करायी जाए तथा चिन्हित स्थानों के आवागमन के प्रमुख चौराहों/रास्तों आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की व्यवस्था/कार्यवाही करायी जाए।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग में लगे पुलिस कर्मियों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दिन रोस्टरवार एक क्षेत्राधिकारी की डियूटी लगायी जाए। अपर पुलिस अधीक्षक गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि का भ्रमणशील रहकर नियमित पर्येक्षण करेंगे।
- जनपद/कमिश्नरेट में रात्रि गश्त हेतु जोनल गश्त मिलान प्रणाली व चेकिंग स्कीम का सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। गश्त मिलान की कार्यवाही क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाय।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद एवं पुलिस उपायुक्त सप्ताह में कम से कम एक बार तथा अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र 15 दिवस में कम से कम एक बार स्वयं भ्रमणशील रहकर रात्रि गश्त पार्टियों की आकस्मिक चेकिंग करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का आप स्वयं अध्ययन कर ले तथा जनपद/कमिश्नरेट में गोष्ठी कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उक्त निर्देशों को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय


(विजय कुमार)

- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
- अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कैपडा 2023

विक्रम संवत् 2080

(द्वादश) शुक्रवार शुक्रवार



नुहूर्त दिन

इस महीने
में मुहूर्त नहीं है



1

श्रावण(अधिक) शुक्रल पूर्णिमा
तिथि: पूर्णिमा
नक्षत्र: उत्तराश्वा

6:01 am - 7:05 pm



श्रावण(अधिक) कृष्ण 1
तिथि: प्रतिपदा
नक्षत्र: शत्रुघ्नि

6:01 am - 7:04 pm



श्रावण(अधिक) कृष्ण 2
तिथि: द्वितीया
नक्षत्र: चतुर्मास

6:02 am - 7:04 pm



श्रावण(अधिक) कृष्ण 3
तिथि: तृतीया
नक्षत्र: शतमिष्ठा

6:02 am - 7:03 pm



श्रावण(अधिक) कृष्ण 4
तिथि: चतुर्थी
नक्षत्र: उत्तराश्वा

6:03 am - 7:02 pm

6

श्रावण(अधिक) कृष्ण 5
तिथि: पावनी
नक्षत्र: देवता

6:03 am - 7:02 pm

13

श्रावण(अधिक) कृष्ण 12
तिथि: हातवी
नक्षत्र: आदा

6:06 am - 6:57 pm

20

श्रावण शुक्रल 4
तिथि: गुरुवी
नक्षत्र: हस्त

6:08 am - 6:51 pm

27

श्रावण शुक्रल 11
तिथि: एकादशी
नक्षत्र: गूरु

6:11 am - 6:45 pm

7

श्रावण(अधिक) कृष्ण 7
तिथि: शाहनी
नक्षत्र: अष्टमी

6:03 am - 7:01 pm

14

श्रावण(अधिक) कृष्ण 13
तिथि: ब्रह्मदत्ती
नक्षत्र: गुरुवी

6:06 am - 6:56 pm

21

श्रावण शुक्रल 5
तिथि: वृद्धी
नक्षत्र: चित्रा

6:09 am - 6:51 pm

28

श्रावण शुक्रल 12
तिथि: हातवी
नक्षत्र: उत्तराश्वा

6:11 am - 6:44 pm

8

श्रावण(अधिक) कृष्ण 8
तिथि: भूषणी
नक्षत्र: भृषी

6:04 am - 7:00 pm

15

श्रावण(अधिक) कृष्ण 14
तिथि: गुरुवी
नक्षत्र: पूर्व

6:06 am - 6:55 pm

22

श्रावण शुक्रल 6
तिथि: षष्ठी
नक्षत्र: लिङ्गा

6:09 am - 6:50 pm

29

श्रावण शुक्रल 13
तिथि: ब्रह्मदत्ती
नक्षत्र: शत्रुणि

6:11 am - 6:44 pm

9

श्रावण(अधिक) कृष्ण 9
तिथि: लंबवी
नक्षत्र: कृतिप्रदा

6:04 am - 7:00 pm

16

श्रावण(अधिक) कृष्ण अमावस्या
तिथि: अग्राहक्या
नक्षत्र: उत्तराश्वा

6:07 am - 6:55 pm

23

श्रावण शुक्रल 7
तिथि: सप्तमी
नक्षत्र: लक्ष्मि

6:09 am - 6:49 pm

30

श्रावण शुक्रल 14
तिथि: चतुर्दशी
नक्षत्र: पञ्चमी

6:12 am - 6:43 pm

10

श्रावण(अधिक) कृष्ण 10
तिथि: दशमी
नक्षत्र: दशमी

6:05 am - 6:59 pm

17

श्रावण शुक्रल 1
तिथि: प्रतिपदा
नक्षत्र: ग्रीष्मा

6:07 am - 6:54 pm

24

श्रावण शुक्रल 8
तिथि: षष्ठी
नक्षत्र: विश्रामा

6:10 am - 6:48 pm

31

श्रावण शुक्रल पूर्णिमा
तिथि: पूर्णिमा
नक्षत्र: शतमिष्ठा

6:12 am - 6:42 pm

11

श्रावण(अधिक) कृष्ण 11
तिथि: लंबवी
नक्षत्र: अष्टमी

6:05 am - 6:58 pm

18

श्रावण शुक्रल 2
तिथि: द्वितीया
नक्षत्र: पूर्व लक्ष्मी

6:08 am - 6:53 pm

25

श्रावण शुक्रल 9
तिथि: लंबमी
नक्षत्र: अनुराशा

6:10 am - 6:47 pm

12

श्रावण(अधिक) कृष्ण 11
तिथि: एकादशी
नक्षत्र: भाद्रा

6:05 am - 6:58 pm

19

श्रावण शुक्रल 3
तिथि: तृतीया
नक्षत्र: उत्तर लक्ष्मी

6:08 am - 6:52 pm

26

श्रावण शुक्रल 10
तिथि: दशमी
नक्षत्र: चतुर्मास

6:10 am - 6:46 pm

प्रद्युम्ना
प्रद्युम्ना

पूर्णिमा
पूर्णिमा

सप्तमी
सप्तमी

सप्तमी 16 ज्येष्ठ दिव्य 17 ज्येष्ठ दिव्य 18 ज्येष्ठ दिव्य 19 ज्येष्ठ दिव्य 20 ज्येष्ठ दिव्य 21 ज्येष्ठ दिव्य 22 ज्येष्ठ दिव्य 23 ज्येष्ठ दिव्य 24 ज्येष्ठ दिव्य 25 ज्येष्ठ दिव्य 26 ज्येष्ठ दिव्य 27 ज्येष्ठ दिव्य 28 ज्येष्ठ दिव्य 29 ज्येष्ठ दिव्य 30 ज्येष्ठ दिव्य 31 ज्येष्ठ दिव्य

आरम्भ 02/08/2023
02:54 AM
समाप्त 26/08/2023
08:37 AM

आरम्भ 02/08/2023
11:26 PM
समाप्त 07/08/2023
01:43 AM

आरम्भ 30/08/2023
10:19 AM
समाप्त 03/09/2023
10:38 AM